फाइल नं0-71-3002(002)/4/2022-03

27/2023/I/281925/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 28 फरवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मे0का0अ0/2022/749, दिनॉक 24.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 3310.53 लाख (जी0एस0टी0 18 प्रतिशत) (रू0 तैंतीस करोड़ दस लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-80-मेडिकल कालेज, अयोध्या हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 110.81 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रायोजना के निर्माण से संबंधित मानचित्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का है।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) प्रायोजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन हेतु एकमुश्त रू0 43.77 लाख तथा सिविल कनेक्शन हेतु रू0 14.59 लाख की धनराशि सम्मिलित की गयी है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्य मदों का संबंधित विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाये।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव में रू0 25.36 लाख की मिट्टी भराई का प्राविधान किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण एकमुश्त रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रायोजना में प्रस्तावित यू0पी0एस0, सोलर फोटो वोल्टेक जनरेशन सिस्टम, लैन एवं ई0पी0बी0ए0एक्स0 सिस्टम आदि की लागत को अनुमन्य नहीं की गयी है, परन्तु निर्माण के साथ-साथ ही इन मदों का क्रय एवं स्थापना मितव्ययता एवं तकनीकी दृष्टि से किया जाना उचित होगा। प्रधानाचार्य पृथक से प्रस्ताव उपलब्ध कराये, जिससे वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन इनका क्रय एवं स्थापना की जा सके।

(7) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, डी0जी0 सेट , मेडिकल गैस पाइप लाइन एवं ट्रांसफार्मर का प्राविधान किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करें। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(8) प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जायेगा।

(10) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए मात्र लागत के आधार पर परीक्षण किया गया है। आगणन में प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का है।

(11) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(14) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(15) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(16) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

(17) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(18) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(19) संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,10,81,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310580 मेडिकल कालेज अयोध्या **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-521-दस/2022-23, दिनांक 25 फरवरी, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।